that the per capita average expenditure on salary, wages, allowances and other banefits to its employees were of the order of Rs. 0.30 lakhs during 1992-93 and Rs. 0.34 lakhs in 1993-94. Super Bazar has estimated average per capita expenditure during 1994-95, 1995-96 and 1996-97 of the order of about Rs. 0.39 lakhs, 0.42 lakhs and Rs. 0.47 lakhs respectively.

(b) Super Bazar is meeting the expenditure on payment of salary, wages, allowances and other benefits to its employees from its own resources.

(c) Super Bazar has estimated an increase of Rs. 0.17 lakhs by the end of the Five Year Plan as compared to the year 1992-93.

Outstanding taxes from Super Bazar

6216. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Super Bazar consumer society was asked to pay Rs. 90 lakh as sales-tax/corporate tax which has been outstanding for the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the taxable earnings of the Super Bazar during the last three years, year-wise;

(d) when was the demand made by the sales-tax authority; and

(e) at what stage is the same at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Financial Year	Assessment Year	Taxable Income
1990-91	1991-92	Rs. 13, 54,524/- as assessed the Income Tax Authority)
1991-92	1992-93	Rs. 3,60,790/- as per the return of Income filed)
1992-93	1993-94	NIL (as per the return of Incom filed)

(d) No demand of sales tax is pending against Super Bazar.

(e) Does not arise.

राशन की वस्तुयें न लेने पर राशन-कार्ड को रद्द किया जाना

6217. **श्री अजीत जोगी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी उपभोक्ता द्वारा उचित दर की दुकान से लगातार दो महीने तक राशन न लेने पर राशनकार्ड रद्द हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ;

(ग) क्या ऐसे राशनकार्डों का नवीकरण हो सकता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। प्रचालन सम्बन्धी मामलों, जैसे जारी करने के मानदण्ड, राशन कार्डों को रद्द करना एवं उनका पुर्नवैधीकरण के बारे में निर्णय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में अपनाए गए मानदण्ड और कार्यविधियां अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1988 में अनुदेश जारी किए गए थे कि उन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड जो उचित दर दुकानों से लगातार दो महीने तक राशन नहीं लेते, रद्द कर दिए जाएंगे। इस अनुदेश का कारण यह बताया गया था कि इससे उन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड समाप्त हो सकेंगे जिन्हें राशन की आवश्यकता नहीं है या जो वह क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि जब कभी भी ऐसे राशन कार्ड धारी सम्बधित मंडल अधिकारी को नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो इन राशन कार्डों का आवासीय पते के सत्यापन के बाद नवीकरण कर दिया जाता है।

सुपर बाजार की शाखाओं का नवीकरण किया जाना

6218. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में सुपर बाजार की किन-किन शाखाओं का नवीकरण किया गया है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि में सुपर बाजार द्वारा इन शाखाओं के नवीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नवीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ङ) क्या सुपर बाजार के महाप्रबंधक ने कुछ विभागों का निजीकरण करने के लिए आदेश जारी किये हैं, और

(च) यदि हां, तो इन विभागों का निजीकरण करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण दिया गया है, **(नीचे देखिए)** जिसमें वर्ष 1993 के दौरान सुपर बाजार की शाखाओं के नाम नवीकरण की तारीख प्रत्येक शाखा पर व्यय की गई राशि दी गई है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वर्ष 1991–1992 तथा 1993 के दौरान नवीकरण पर निम्नांकित राशि व्यय की गई है :–

वर्ष	व्यय की गई राशि
1991	1,51,037 रु०
1992	5,04,053 रु०
1993	8,62,782 रु०

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।